

17 MAY 2025

Roll No.

FOUNDATION EXAM
PAPER - 2
BUSINESS LAWS

Total No. of Questions - 6

Total No. of Printed Pages - 24

Time Allowed - 3 Hours

Maximum Marks - 100



CJS(H)

Answers to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium, his/her answers in Hindi will not be evaluated.

Question No. 1 is compulsory.

Answer any four questions from the remaining five questions.

Working notes should form part of the answers.

Candidate found copying or receiving or giving any help or defying instructions of the invigilators or having/using mobile phone or smart watch will be expelled from the examination and will also be liable for further punitive action.

Marks

1. (a) ABC Infrastructure Ltd. was running business successfully from several years. P was the purchase manager of company. He authorised his agent Q to buy Raw Material on his behalf for construction of Roads in Delhi. He instructed Q to buy only Mazboot Brand of Cement @ ₹ 2,000-2,500 per ton to maintain quality of Roads in Delhi. However, Q bought 1,000 tons of Mazboot Brand of cement from Mr. R a very well-known vendor of ABC Infrastructure Ltd. @ ₹ 3,500/- per ton. Mr. Q has not disclosed the fact to R that he was

P.T.O.

CJS(H)

(2)

CJS(H)

Marks

buying cement for ABC Infrastructure Ltd. When P discovered this aspect, he refused to pay Mr. R and rejects the cement bought by Q on the ground that Q has exceeded the authority. Mr. R suffered a huge loss on account of this transaction. Give your opinion in accordance with provisions from the Indian Contract Act, 1872 :

- (i) Whether P was bound to pay Mr. R for cement purchased by his agent Mr. Q ?
- (ii) On the other hand, Q being agent refused to accept any liability to compensate R. In this situation, Whether Mr. R can file a suit against Q ?
- (b) (i) State with reasons whether the following companies can be treated as Small Companies with reference to the provisions of The Companies Act, 2013 : 4
1. STS Pvt. Ltd., having a turnover of ₹ 10 crores and the paid-up capital of ₹ 1 crore (1,00,000 equity shares of ₹ 100 each). Out of these 60,000 equity shares are held by UV Infratech Pvt. Ltd.
 2. ZX Ltd., having a paid-up capital of ₹ 3 crores and turnover of ₹ 35 crores.
- (ii) The paid-up equity share capital of ACD Ltd. is ₹ 80 crores & preference share capital of ₹ 20 crores. B Ltd. holds equity shares in ACD Ltd. worth ₹ 15 crores and preference shares worth ₹ 10 crores. 3
- Can B Ltd. be considered as an Associate Company of ACD Ltd.?

CJS(H)

(3)

CJS(H)

Marks

(c) In accordance with provisions of The Indian Partnership Act, 1932, 6
explain the following :

- (i) The rights of an outgoing partner to carry on competing business.
- (ii) The rights of a partner to be indemnified by the firm and the liability of a partner to indemnify the firm.

2. (a) S purchased a dress from a reputed showroom and made the payment 7
in cash. The dress she purchased require some alteration. The shopkeeper assured S that it would take just one day to get the dress altered. It was agreed that once the dress was altered the shopkeeper would inform S through phone and she would collect the dress. Next day, by evening the dress was altered and kept ready to be delivered to S. The shopkeeper however forgot to inform S that the dress was ready.

In the meantime, a short circuit occurred near the delivery counter of the shop and some packets ready for delivery caught fire. After waiting for 10 days, when, S went to collect her dress she was informed that she came late and her dress was burnt in fire. S, then asked for refund of money what she paid. The shopkeeper refused, by saying that the dress was kept ready the very next day of purchase and the loss due to fire occurred after a week. He refused to bear the liability by saying

CJS(H)

P.T.O.

(4)

CJS(H)

Marks

that if S had collected the dress on time it would not have been burnt.

S insisted that she was waiting for a call from the shop and thus, entitled to claim the refund of cost of dress.

Examine, with reference to the provisions of the Sale of Goods Act, 1930, whether shopkeeper will be liable to refund the cost of dress to S ?

- (b) Doctrine of indoor management allows all those who deal with the company to assume that the officers of the company have observed the provisions of the articles. In light of the above statement, explain the doctrine of indoor management and its exceptions, if any, according to provisions of The Companies Act, 2013. 7
- (c) (i) Limited Liability Partnership (LLP) gives the benefits of Limited Liability of a company on one hand and the flexibility of Partnership on the other. Discuss according to provisions of The Limited Liability Partnership Act, 2008. 3
- (ii) Raju and his friend Anil have approached you to help them to form a LLP. The object of the proposed LLP is to run a charitable school which provides free education to the poor children. What would be your suggestion in accordance of provisions of The Limited Liability Partnership Act, 2008 ? 3

CJS(H)

(5)

CJS(H)

Marks

3. (a) ABC & Co is a renowned partnership firm doing business in textile industry from last twenty years. But due to technical up-gradation, firm incurred heavy debts of ₹ 50 lakhs. To maintain the integrity of the firm they introduced Mr. D, as a new partner. Before admission of D, other partners A, B, and C decided on their own and made an agreement with the creditors that the new partner will be liable for existing debt through novation. When D joins, he came to know about the debt of ₹ 50 lakhs. With reference to the provisions of The Indian Partnership Act, 1932, give your opinion :

7

- (i) Whether D would be liable for the debts of the firm incurred prior to his admission by virtue of the agreement between A, B, C, and the creditors ?
- (ii) Whether your answer will be different if D was minor at the time of admission ?
- (iii) Whether D would be liable to pay the debt upon becoming major ?

(b) (i) The Object clause of Memorandum of Association of ABC Pvt. Ltd. authorized the company to carry on the business of trading in property in Gurgaon. Since the company was not doing well, the Directors of the company in a recent board meeting planned to diversify the business and enter into Construction business. For this purpose, they borrowed a sum of ₹ 5 crores from

4

CJS(H)

P.T.O.

(6)

CJS(H)

Marks

Magnum Finance Ltd. But the members of the company did not approve the decision of the board hence, company refused to repay the loan. According to provisions of The Companies Act, 2013 what is the recourse available to Magnum Finance Ltd. for recovery of the loan ?

- (ii) SNM Ltd. was registered in 2021 with a share capital of ₹ 50 Lakh divided into 5 lakhs equity share of ₹ 10 each under Section 8 of the Companies Act, 2013 for promotion of art in Jaipur. Company earned huge profits during the financial year ending on 31st March 2025 due to boom in the market. On 10th May 2025, 75% members of the company demanded to distribute 10% dividend to the equity shareholders. For this purpose, they passed special resolution in EGM.

With reference to provisions of The Companies Act, 2013 decide whether SNM Ltd. can declare dividend @ 10% to equity shareholders for the year ending 31st March 2025.

- (c) According to provisions of The Indian Contract Act, 1872, define the following terms with reference to contract of guarantee : 6
- (i) Nature and extent of Surety's Liability
 - (ii) Discharge of a Contract of Surety by Invalidation of the Contract of Guarantee.

CJS(H)

(7)

CJS(H)

Marks

4. (a) X was running a business of Car on lease. One fine day, Y came to hire a car for 10 days for his business tour from Delhi to Amritsar. X offered him a Honda city for ₹ 50,000/- for 10 days on a condition that petrol and toll expenses will be borne by him. During the journey, engine of car was choked. Y has to spend ₹ 10,000/- for repair of engine. When he was coming back from Amritsar, brakes of car were not working and a major accident of Y happened due to this. Y was admitted to hospital and paid a bill of ₹ 50,000 on recovery. Y asked X to compensate him charges for car repair and hospital expenses amounting ₹ 60,000/-. X denied for compensation by saying that he was not aware about the engine and brakes fault. Y filed a suit against X for recovery of damages. Give your opinion with reference to provisions of The Indian Contract Act, 1872 :

(i) Whether Y can withhold the amount of hire charges ₹ 50,000/- on account of non-payment of damages ?

(ii) Whether Mr. X was liable to pay Damage as he was not aware of the fact of faults in car ?

(b) (i) "Delivery of an instrument is essential whether instrument is payable to bearer or order for effecting the negotiation." Discuss this statement with reference to provisions of The Negotiable Instrument Act, 1881.

(ii) Differentiate between a promissory note and bill of exchange.

4

CJS(H)

P.T.O.

(8)

CJS(H)

Marks

- (c) Explain in brief the important functions played by the Ministry of Finance, the Ministry of Corporate Affairs and the Ministry of Law and Justice in enforcing the law in India. 6
5. (a) (i) P sold certain antique items to Q for ₹ 3,00,000/- on 13.12.2024. 4
As per the terms of agreement 75% of the amount was to be paid within a week and the balance 25% was to be paid till 31.12.2024. Q appointed his agent R to take delivery of the goods after payment of first installment. Q transferred a sum of ₹ 2,80,000/- in the account of P through NEFT on 18.12.2024 which was credited in P's account on the same date. R failed to take delivery of antique items due to medical emergency.
By the meantime, Q failed to make payment of the second installment till 31.12.2024. On 10.01.2025, Q's agent came to take the delivery of goods. But, P refused to deliver the goods and exercised his right of lien over the goods.
According to provisions of The Sale of Goods Act, 1930, give your opinion whether P was justified in exercising right of lien as only ₹ 20,000/- was left to be paid ?
- (ii) An auction takes place in Delhi for antique items. It is notified to the bidders that the sale will be completed, only when the hammer of the auctioneer hits the table and he announces "you are the highest bidder". During the auction, L bids for an antique 3

CJS(H)

(9)

CJS(H)

Marks

sculpture, worth ₹ 8 lakhs. The hammer falls, but announcement cannot be made as the auction suddenly stops before the auctioneer can utter any words. It is notified to everyone that there has been an unexpected rise in the market price for that particular sculpture, and therefore, it will not be sold on that particular day. L contends that the auctioneer is bound to sell the sculpture to him at the price he bid because once he bid at the highest price in the auction and the hammer fell, the auction sale was completed and therefore, the auctioneer is under a contractual obligation to sell the sculpture. The auctioneer disagrees. Discuss the validity of L's claim in reference to the provisions of The Sale of Goods Act, 1930.

- (b) "The partner indeed virtually embraces the character of both a principal and an agent. The implied authority of a partner to bind the firm by all acts done by him in all matters connected with business is done in the usual way, not beyond the nature and scope of Partnership." Explain with reference to provisions of The Indian Partnership Act, 1932. 7
- (c) (i) Give your opinion with reference to provisions of The Indian Contract Act, 1872 : 4
1. Whether Joint promisor and promisee voluntary discharge their obligation even after death ?

CJS(H)

P.T.O.

(10)

CJS(H)

Marks

2. In case they won't be able to discharge their obligation,
Whether any of the joint promisor may be compelled ?
3. What would be the situation in case of default by any one of
them ?
- (ii) What are the effects of Coercion? "Whether Threat to commit
suicide is coercion"? Elaborate with reference to provisions of
The Indian Contract Act, 1872. 2
6. (a) Ram purchased a second-hand car from his friend Rohan for ₹ 5 lakhs
on 10th November, 2022. He paid ₹ 4 lakh immediately and promised
to pay ₹ 1 lakh within a year. But, he could not pay the remaining
amount till December-2023. On 5th January, 2024 Ram received an
invitation for Rohan's wedding which he could not attend but sent a
cheque of ₹ 51,000 as gift by post. 7

When Rohan deposited the cheque, it was returned unpaid due to
insufficient balance in the account of Ram. Rohan considered it as an
offence under Section 138 of The Negotiable Instruments Act, 1881.

Advise

- (i) Whether Ram would be held liable for dishonour of cheque ?
- (ii) Whether Rohan was justified in considering this as an offence
under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881.

CJS(H)

(11)

CJS(H)

Marks

(b) With reference to provisions of The Indian Contract Act, 1872 define the following terms : 6

- (i) Quasi-contracts and its salient features
- (ii) Responsibility of finder of goods

OR

(b) Explain the following terms with reference to The Indian Contract Act, 1872 : 6

- (i) Pledge by mercantile agent
- (ii) Pledge by person in possession under voidable contract

(c) With reference to provisions of The Sale of Goods Act, 1930, answer the following : 7

- (i) What do you mean by Reservation of right of disposal ? State the circumstances under which right of disposal may be reserved.
- (ii) Sometime breach of condition will be treated as breach of warranty as a result of which buyer losses his right to rescind. State the circumstance where a contract cannot be avoided even on account of breach of condition.

CJS(H)

P.T.O.

उन परीक्षार्थियों को छोड़कर जिन्होंने हिन्दी माध्यम चुना है, प्रश्नों के उत्तर केवल अंग्रेजी में ही देने हैं।

वह परीक्षार्थी जिसने हिन्दी माध्यम नहीं चुना है, यदि हिन्दी में उत्तर देता है,
तो उसके हिन्दी में दिये गये उत्तरों का मूल्यांकन नहीं होगा।

प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है।

शेष पाँच प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

कार्य टिप्पणियाँ (Working Notes) उत्तर का भाग होनी चाहिए।

कोई भी विद्यार्थी यदि नकल करते हुए या मदद प्राप्त करते हुए या देते हुए या परीक्षक के निर्देशों की अवहेलना करते हुए या मोबाइल फोन रखे हुए या इस्तेमाल करते हुए या स्मार्ट घड़ी का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और साथ ही दाण्डिक कार्यवाही के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Marks

1. (a) ABC इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कई वर्षों से सफलतापूर्वक व्यवसाय चला रही है। P 7
कम्पनी का क्रय प्रबंधक है। उसने अपने एजेंट Q को दिल्ली में सड़क निर्माण कार्य हेतु कच्ची-सामग्री उसकी ओर से क्रय करने हेतु अधिकृत किया। उसने Q को यह भी निर्देश दिया कि वह केवल मज्जबूत ब्राण्ड की सीमेंट ₹ 2,000 से ₹ 2,500 प्रति टन के हिसाब से क्रय करे जिससे दिल्ली की सड़कों की गुणवत्ता बनी रहे। हालाँकि, Q ने 1,000 टन मज्जबूत ब्राण्ड सीमेंट मिस्टर R, जो कि ABC इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का जाना-माना विक्रेता (वेंडर) है, से ₹ 3,500 प्रति टन के हिसाब से क्रय की। मिस्टर Q ने इस तथ्य का उल्लेख R को नहीं किया कि वह ABC इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिये सीमेंट क्रय कर रहा है। जब P को इस बात की जानकारी हुई तो उसने मिस्टर R को भुगतान करने से इन्कार कर दिया और सीमेंट को निरस्त कर दिया, यह कहकर कि Q ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर

(13)

CJS(H)

Marks

जाकर कार्य किया है । मिस्टर R को इस संव्यवहार से भारी क्षति हुई । भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए :

- (i) क्या P मिस्टर R को अपने एजेंट Q द्वारा क्रय की गई सीमेंट का भुगतान करने के लिये बाध्य है ?
- (ii) दूसरी तरफ, Q ने एक एजेंट होने के नाते कोई भी क्षतिपूर्ति का दायित्व स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, क्या मिस्टर R, Q के विरुद्ध दावा दायर कर सकता है ?
- (b) (i) कारण सहित समझाइए कि क्या निम्नलिखित कम्पनियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत लघु कम्पनियाँ मानी जा सकती हैं : 4
1. STS प्राइवेट लिमिटेड जिसका व्यापारवृत्त (turnover) ₹ 10 करोड़ और प्रदत्त अंश पूँजी ₹ 1 करोड़ (1,00,000 साम्या अंश ₹ 100 प्रति अंश) है । उसमें से 60,000 साम्या अंश UV इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धारित हैं ।
 2. ZX लिमिटेड, जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी ₹ 3 करोड़ और व्यापारवृत्त (turnover) ₹ 35 करोड़ है ।
- (ii) ACD लिमिटेड की प्रदत्त साम्या अंश पूँजी ₹ 80 करोड़ और वरीयता अंश पूँजी ₹ 20 करोड़ है । B लिमिटेड, ACD लिमिटेड के ₹ 15 करोड़ के साम्या अंश और ₹ 10 करोड़ के वरीयता अंश धारण करती है । 3
- क्या B लिमिटेड को ACD लिमिटेड की सहयोगी कम्पनी माना जा सकता है ?

CJS(H)

P.T.O.

(c) भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अनुसार निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए :

6

- (i) बाहर जाने वाले साझेदार का प्रतिस्पर्धी व्यवसाय करने का अधिकार ।
- (ii) फर्म से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का साझेदार का अधिकार और फर्म की क्षतिपूर्ति करने का साझेदार का दायित्व ।

2. (a) S द्वारा एक ड्रेस (वस्त्र) प्रतिष्ठित दुकान से क्रय की गई और नकद में भुगतान किया

7

गया । जो ड्रेस (वस्त्र) पसंद की गई उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता थी ।

दुकानदार ने S को यकीन दिलाया कि वस्त्र (ड्रेस) को सुधार करने में मात्र एक दिन

लगेगा । यह सहमति हुई कि जैसे ही वस्त्र (ड्रेस) में सुधार हो जाएगा दुकानदार S को

फोन द्वारा सूचना देगा और वह वस्त्र (ड्रेस) प्राप्त कर लेगी । दूसरे दिन, शाम को वस्त्र

(ड्रेस) में सुधार हो चुका था और वह S को सुपुर्दगी के लिये तैयार पड़ी थी ।

हालांकि दुकानदार S को सूचना देना भूल गया कि वस्त्र (ड्रेस) तैयार है ।

इसी मध्य, सुपुर्दगी काउंटर के पास शॉर्ट-सर्किट होने से दुकान पर सुपुर्दगी हेतु तैयार

रखे कुछ पैकेट आग के कारण जल गये । 10 दिनों तक इंतजार के बाद जब S दुकान

पर वस्त्र (ड्रेस) लेने पहुँची तो उसे सूचना दी गई कि वह देरी से आई है और वस्त्र

(ड्रेस) आग के कारण जल चुका है । S द्वारा फिर अपने द्वारा भुगतान की गई राशि

की वापसी की माँग की गई । दुकानदार द्वारा राशि लौटाने से इन्कार किया गया यह

कहकर कि वस्त्र (ड्रेस) तो दूसरे दिन ही तैयार था और आग एक सप्ताह बाद लगी ।

उसने अपना दायित्व वहन करने से इन्कार किया यह कहकर कि यदि वह समय पर

वस्त्र (ड्रेस) ले जाती तो वस्त्र (ड्रेस) नहीं जलता ।

हालाँकि S ने जोर दिया और कहा कि वह दुकानदार के फोन का इंतजार कर रही थी, अतः वह भुगतान वसूली का दावा करने का अधिकार रखती है ।

माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के निर्देशन में दुकानदार द्वारा S को ड्रेस की कीमत लौटाने के दायित्व का परीक्षण कीजिए ।

(b) आन्तरिक प्रबंध का सिद्धान्त कम्पनी से व्यवहार करने वाले सभी व्यक्तियों को यह 7 उपधारणा करने का अधिकार देता है कि कम्पनी के अधिकारियों द्वारा कम्पनी के अन्तर्नियमों का अवलोकन कर लिया गया है । उपरोक्त कथन के प्रकाश में, आन्तरिक प्रबंध का सिद्धान्त और इसके अपवाद, कोई हो तो, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप व्याख्या कीजिए ।

(c) (i) सीमित देयता भागीदारी (LLP) एक तरफ सीमित दायित्व वाली कम्पनी का 3 लाभ देती है और दूसरी तरफ भागीदारी के समान लचीलापन प्रदान करती है । सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुरूप चर्चा कीजिए ।

(ii) राजू और उसका एक मित्र अनिल LLP के निर्माण हेतु आपसे संपर्क करते हैं । प्रस्तावित LLP का उद्देश्य एक धर्मार्थ स्कूल चलाना है, जो गरीब विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा । सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुरूप आप क्या सलाह देंगे ?

3. (a) ABC एण्ड कम्पनी एक ख्याति प्राप्त फर्म है जो टेक्सटाइल उद्योग में पिछले 20 वर्षों से कारोबार कर रही है। कुछ तकनीकी उन्नति के कारण फर्म के ऊपर भारी ₹ 50 लाख का ऋण हो गया। फर्म की एकात्मकता बनाए रखने के लिये मिस्टर D को नया भागीदार बनाया गया। D के शामिल होने से पूर्व ही अन्य भागीदार A, B और C ने स्वयं निर्धारित किया और ऋणदाताओं के साथ करार किया कि नया भागीदार फर्म के सभी वर्तमान ऋणों के लिये नवीयन द्वारा बाध्य होगा। जब D फर्म में शामिल हुआ, तो उसे ₹ 50 लाख के ऋण की जानकारी हुई। भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के निर्देशन में अपने विचार प्रकट कीजिए :
- क्या D फर्म के ऋणों के लिये उत्तरदायी होगा इस कारण से कि A, B, C और ऋणदाताओं के मध्य उसके शामिल होने से पूर्व ही इस संबंध में करार हो चुका है ?
 - क्या आपका उत्तर अलग होगा यदि D फर्म में शामिल होने के समय एक अवयस्क होता ?
 - क्या D वयस्क हो जाने के पश्चात् फर्म के ऋणों के लिये उत्तरदायी होगा ?

- (b) (i) ABC प्राइवेट लिमिटेड के सीमा नियम का उद्देश्य खण्ड कम्पनी को गुरुग्राम में सम्पत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित कारोबार करने के लिये अधिकृत करता है। क्योंकि कम्पनी अच्छा कार्य नहीं कर रही थी, निदेशक मण्डल द्वारा अभी हाल ही में आयोजित अपनी बोर्ड मीटिंग में कम्पनी के कारोबार को विस्तारित करते हुए निर्माण क्षेत्र में कारोबार करने का निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य के लिये उन्होंने मेनम (Magnum) फाइनेंस लिमिटेड से ₹ 5 करोड़ का ऋण

लिया । किन्तु कम्पनी के सदस्यों द्वारा बोर्ड के निर्णय को अस्वीकार कर दिया इसलिए कम्पनी ने ऋण भुगतान करने से इन्कार कर दिया ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मेन्यम (Magnum) फाइनेंस लिमिटेड को ऋण वसूली के लिये क्या उपचार प्राप्त है ?

- (ii) SNM लिमिटेड 2021 में पंजीकृत कम्पनी है जो कि ₹ 50 लाख अंश पूँजी जो कि ₹ 10 प्रति अंश के 5 लाख साम्या अंशों में विभाजित, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत जयपुर में कला के प्रचार के लिये पंजीकृत एक कम्पनी है । 31 मार्च, 2025 के वित्तीय वर्ष समाप्ति पर बाजार में तेजी के कारण कम्पनी ने अत्यधिक लाभ अर्जित किया । 10 मई, 2025 को कम्पनी के 75% सदस्यों द्वारा साम्या अंशधारकों को 10% लाभांश भुगतान की माँग की गई । इस उद्देश्य के लिये असाधारण सामान्य सभा (EGM) में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के निर्देशन में निर्णय कीजिए कि क्या SNM लिमिटेड 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये साम्या अंशधारकों को 10% के हिसाब से लाभांश की घोषणा कर सकती है ?

- (c) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार, गारन्टी की संविदा के संबंध में निम्न को परिभाषित कीजिए : 6
- प्रतिभू (Surety) (जमानती) के दायित्व की सीमा और प्रकृति
 - गारन्टी की संविदा के अवैध होने के कारण प्रतिभू (Surety) (जमानती) के दायित्व का उन्पोचन ।

4. (a) X कार को किराये पर देने का कारोबार करता है। एक दिन Y ने 10 दिनों के लिये 7 अपने व्यावसायिक कार्यों हेतु दिल्ली से अमृतसर जाने के लिये कार किराये पर ली। X ने 10 दिनों के लिये ₹ 50,000 में होन्डा सिटी कार इस शर्त के साथ दी कि पेट्रोल व टोल का सारा खर्च Y के द्वारा वहन किया जाएगा। यात्रा के दौरान कार का इंजन जाम हो गया। Y के द्वारा इंजन सुधार के लिये ₹ 10,000 खर्च किये गये। एक दिन जब वह अमृतसर से लौट रहा था तो कार के ब्रेक फेल होने के कारण धातक दुर्घटना हुई। Y को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज पर ₹ 50,000 के खर्च का भुगतान Y द्वारा वहन किया गया। Y ने कार में सुधार और अस्पताल के खर्चे के कुल ₹ 60,000 की क्षतिपूर्ति की माँग की। X द्वारा भुगतान से इन्कार किया गया। यह कहकर कि उसे इंजन और ब्रेक खराब होने की कोई जानकारी नहीं है।

Y ने X के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा दायर किया। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के निर्देशन में अपने विचार प्रकट कीजिए :

- क्या Y ₹ 50,000 का किराया, क्षतिपूर्ति का भुगतान न होने पर अपने पास रोक कर रख सकता है?
- क्या X क्षतिपूर्ति देने के लिये बाध्य है जबकि उसे कार में खराबी की कोई जानकारी नहीं है?

(19)

CJS(H)

Marks

- (b) (i) “किसी लिखत की सुपुर्दगी आवश्यक है चाहे वह लिखत धारक को देय हो या परक्रामण को प्रभावी करने के लिये आदेश हो ।” परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के निर्देशन में उपरोक्त कथन पर चर्चा कीजिए । 3
- (ii) वचन पत्र और विनियम बिल (पत्र) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए । 4
- (c) भारत में कानून लागू करने के संबंध में वित्त मंत्रालय, निगमित (कार्पोरेट) मामलों के मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय के प्रमुख कार्यों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए । 6
5. (a) (i) P द्वारा Q को 13.12.2024 को ₹ 3,00,000 में कुछ बहुमूल्य पुरानी वस्तुएँ विक्रय कीं । करार की शर्तों के अनुसार 75% मूल्य एक सप्ताह में भुगतान करना है और शेष बचा हुआ 25% 31.12.2024 तक भुगतान करना है । Q द्वारा अपने एजेंट R की नियुक्ति की जाती है जिसे प्रथम किस्त भुगतान के पश्चात् सुपुर्दगी प्राप्त करनी है । Q के द्वारा ₹ 2,80,000, P के खाते में NEFT द्वारा 18.12.2024 को अन्तरित किये गये जो P के खाते में उसी दिन पहुँच गये । कुछ चिकित्सा आपात के कारण R उन बहुमूल्य पुरानी वस्तुओं की सुपुर्दगी प्राप्त करने में असफल रहा ।
- इसी दौरान, Q अपनी दूसरी किस्त 31.12.2024 तक भुगतान करने में असफल रहा । 10.01.2025 को Q का एजेंट सुपुर्दगी प्राप्त करने हेतु उपस्थित

CJS(H)

P.T.O.

हुआ । किन्तु P ने अपने धारणाधिकार (lien) का उपयोग करते हुए सुपुर्दगी देने से इन्कार किया ।

माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के अनुसार अपने विचार प्रकट कीजिए कि क्या P के द्वारा धारणाधिकार (lien) का प्रयोग न्यायसंगत है जबकि सिर्फ ₹ 20,000 ही शेष बकाया है ?

- (ii) पुरानी बहुमूल्य वस्तुओं हेतु एक नीलामी का आयोजन दिल्ली में हुआ । इस बात की सूचना बोली दाताओं को दी गई कि नीलामी विक्रय तभी पूर्ण माना जाएगा जब नीलामकर्ता द्वारा टेबल पर हथौड़ा मारा जाएगा और वह यह घोषणा करेगा कि “आप ही उच्च बोली लगाने वाले हैं ।” नीलामी के दौरान L द्वारा एक पुराने बहुमूल्य स्कल्पचर के लिए ₹ 8 लाख की बोली लगाई गई । हथौड़ा बजाया गया किन्तु कोई घोषणा नहीं की गई क्योंकि नीलामी अचानक रोक दी गई और नीलामकर्ता कुछ न कह सका । इस बात की सूचना सभी को दी गई कि उस विशेष बहुमूल्य पुराने स्कल्पचर की बाज़ार कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण उसे उस दिन विक्रय नहीं किया जाएगा । L ने विरोध किया कि उसने अधिकतम बोली लगाई है और हथौड़ा भी बजाया गया है अतः नीलामी विक्रय पूर्ण हो चुका है । फलस्वरूप नीलामकर्ता स्कल्पचर का विक्रय करने हेतु संविदात्मक कर्तव्यों के अन्तर्गत बाध्य है ।

नीलामकर्ता इस तर्क से असहमत हुआ । माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के निर्देशन में L के उक्त दावे की वैधता पर विचार कीजिए ।

(21)

CJS(H)

Marks

(b) “भागीदार वास्तव में एक प्रधान (मालिक) और एक एजेंट दोनों के चरित्र को

7

वस्तुतः अपनाते हैं। फर्म को अपने सभी कार्यों से बाध्य करने का किसी भागीदार का गर्भित प्राधिकार व्यापार के मामूली अनुक्रम में तथा भागीदारी की प्रकृति और क्षेत्र के बाहर का नहीं होना चाहिए।” भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के निर्देशन में व्याख्या कीजिए।

(c) (i) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के निर्देशन में अपने विचार

4

प्रकट कीजिए :

1. क्या संयुक्त वचनकर्ता और वचनग्रहीता मृत्यु के पश्चात् भी स्वेच्छा से

अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं ?

2. उस मामले में यदि वे अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाते तो क्या

संयुक्त वचनकर्ताओं में से किसी एक को बाध्य किया जा सकता है ?

3. उस परिस्थिति में क्या होगा जब किसी एक के द्वारा चूक की जाती है ?

(ii) उत्पीड़न का क्या प्रभाव होता है ? “क्या आत्म-हत्या की धमकी देना

2

उत्पीड़न माना जा सकता है ?” भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के

प्रावधानों के अनुरूप व्याख्या कीजिए।

CJS(H)

P.T.O.

(22)

CJS(H)

Marks

6. (a) राम ने अपने मित्र रोहन से एक पुरानी कार ₹ 5 लाख में 10 नवम्बर, 2022 को क्रय की । उसने ₹ 4 लाख तुरन्त भुगतान किये और ₹ 1 लाख एक वर्ष के भीतर चुकाने का वचन दिया । किन्तु वह शेष राशि दिसम्बर-2023 तक चुकाने में असफल रहा । 5 जनवरी, 2024 को राम को रोहन के विवाह का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ किन्तु वह उपस्थित न हो सका लेकिन उसने ₹ 51,000 का एक चेक उपहार के तौर पर भेजा । जब रोहन ने बैंक में चेक जमा कराया तो वह राम के खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण अनादरित हो गया । रोहन द्वारा इसे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत एक अपराध माना गया । सलाह दीजिए :

- (i) क्या राम चेक के अनादरण के लिए उत्तरदायी है ?
(ii) क्या रोहन का यह कहना न्यायसंगत है कि यह परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत एक अपराध है ?

(b) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के निर्देशन में निम्न को परिभाषित कीजिए :

- (i) अर्ध-संविदा और इसकी मुख्य विशेषताएँ
(ii) माल खोजने वाले की जिम्मेदारी (उत्तरदायित्व)

अथवा

(b) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के निर्देशन में निम्न की व्याख्या कीजिए :

- (i) व्यापारिक एजेंट द्वारा गिरवी
(ii) शून्यकरणीय संविदा के अन्तर्गत कब्जाधारी द्वारा गिरवी

CJS(H)

(23)

CJS(H)

Marks

(c) माल विक्रय अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के निर्देशन में निम्न का उत्तर दीजिए : 7

(i) निपटान के अधिकार का आरक्षण से आप क्या समझते हैं ? उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें निपटान का अधिकार आरक्षित रखा जा सकता है ।

(ii) कुछ मामलों में शर्त उल्लंघन को वारंटी उल्लंघन के रूप में माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप क्रेता संविदा को रद्द करने का अधिकार खो देता है । उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जहाँ शर्त के उल्लंघन के कारण भी संविदा को अनदेखा (टाला) नहीं किया जा सकता ।

CJS(H)